



कार्यालय
अधीक्षक, न्यू गार्डिनर रोड
सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल, पटना।



E.mail- newgardinerhosp@gmail.com

आउटसोर्सिंग व्यवस्था के तहत कपड़ों की धुलाई हेतु निविदा (ड्राफ्ट)

आउटसोर्सिंग व्यवस्था के तहत कपड़ों की धुलाई, हेतु इच्छुक गैर सरकारी संस्थाओं/कम्पनियों/फर्मों/प्रतिष्ठानों/सर्विस प्रोभाईडरों/संवेदकों से कम्प्यूटरीकृत टंकित तकनीकी एवं वित्तीय निविदा अलग-अलग दो लिफाफों में कर, एक बड़े लिफाफे में सील बंद कर व उक्त लिफाफे पर **आउटसोर्सिंग व्यवस्था के तहत कपड़ों की धुलाई**, हेतु निविदा स्पष्ट रूप से अंकित करते हुए निविदा प्रकाशन की तिथि से 21 दिनों के अंदर सिर्फ निबंधित डाक से निविदा आमंत्रित की जाती है। प्राप्त निविदाओं को खोलने का समय निर्धारित कर निविदादाताओं को सूचनापट्ट/मोबाईल के माध्यम से सूचित किया जायेगा, निविदादाता अथवा उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि, निविदा खोले जाने के समय उपस्थित रह सकते हैं अन्यथा उनकी अनुपस्थिति में भी निविदा खोली जा सकती है। निविदा की तकनीकी एवं वित्तीय शर्तें कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस में New Gardiner Road Super Speciality Hospital, Patna के नाम से 100 रुपये का डिमान्ड ड्राफ्ट (Non Refundable) बनाकर एक आवेदन अपने लेटर पैड के माध्यम से कार्यालय कक्ष में जमा करने के पश्चात प्राप्त की जा सकती हैं। तत्पश्चात ही संस्था निविदा डालने के लिए अधिकृत होंगे। अन्यथा उनका निवादा अमान्य कर दिया जाएगा। विस्तृत जानकारी के लिए न्यू गार्डिनर रोड सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल, पटना के वेबसाईट पर <http://gardinerroadhospital.in/> पर देखा जा सकता है।

- (क) अस्पताल अन्तर्गत उपयोग में आने वाली सभी स्तर के कपड़ों की धुलाई एवं ऑयरन कराने से संबंधित कार्यों की विवरणी निम्नलिखित है :-
- (01) सरकार द्वारा निर्धारित सातो रंग का प्रत्येक बेड के बेडशीट (चादर) एवं तकिया का कवर प्रत्येक दिन धोना एवं ऑयरन करना होगा।
 - (02) प्रत्येक बेड का कम्बल, मछरदानी पर्दा, आदि आवश्यकतानुकूल धोना एवं ऑयरन करना होगा।
 - (03) प्रत्येक बेड का गद्दा को आवश्यकतानुकूल धोना एवं सेनेटाइज करना होगा।
 - (04) ऑपरेशन थियेटर के कपड़ों की धुलाई एवं ऑयरन करना होगा।
 - (05) कपड़ा धुलाई में Detergent Powder, Separate carts for transport & storage of dirty and washed linen, Disinfectant, Acetone, Ammonia, Hydrogen Peroxide and Bleach का उपयोग करना होगा।
 - (06) किसी कारणवश कपड़ा कट या फट जाता है तो उक्त परिस्थिति में ससमय कपड़ा की रफु/सिलाई करवाना होगा।
 - (07) वैश्विक महामारी/आपातकाल के समय सरकार की शर्तानुकूल कार्य करना होगा, जिसके लिए कोई अतिरिक्त राशि का भुगतान नहीं किया जायेगा।
 - (08) सभी कर्मी/श्रमिकों निर्धारित पोशाक पहनकर ही संबंधित कार्य का निष्पादन करना होगा।
 - (09) कपड़ा धोने हेतु अस्पताल परिसर में ही Commercial Washing Machine ब्रांडेड कम्पनी का लगाना होगा।

- (ख) गैर सरकारी संस्थाओं/कम्पनियों/फर्मों/प्रतिष्ठानों/सर्विस प्रोभाईडरों/संवेदकों का तकनीकी निविदा हेतु शर्तों एवं योग्यताओं से संबंधित सभी प्रमाण-पत्रों की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति तकनीकी निविदा आवेदन (एनेक्चर 1 प्रारूप में प्रमाण-पत्रों एवं संबंधित कागजातों की संख्या दर्शाते हुए तथा एनेक्चर 2 में मांगी गई सूचना भरना अनिवार्य) के साथ संलग्न करना होगा।
- (01) निविदादाता द्वारा निर्गत तकनीकी निविदा आवेदन (पत्रांक दिनांक सहित)।
- (02) गैर सरकारी संस्थाओं का सोसाईटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 21,1860 /1882 के अधीन निबंधित होना चाहिए अथवा कम्पनियों का कम्पनी अधिनियम 1956 (1956 का 1)/2013 के अधीन निबंधित होना चाहिए अथवा प्रतिष्ठानों/सर्विस प्रोभाईडरों /संवेदकों का बिहार शॉप्स एण्ड इस्टैब्लिशमेंट एक्ट "1953" के अधीन निबंधित होना चाहिए,अथवा पाटनरसीप फार्म का निबंधन पाटनरसीप एक्ट 1932 के अधिन निबंधित होने का प्रमाण-पत्र संलग्न करना होगा, जो निविदा प्रकाशन तिथि के पहले का बना होना चाहिए।
- (03) निविदा आवेदन के साथ अग्रधन के रूप में रू०-25000/- (पचीस हजार रू०) मात्र (चयनित संस्था का डिमाण्ड ड्रॉफ्ट एकरारनामा अवधि तक Non-Refundable) का राष्ट्रीयकृत/सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त बैंक द्वारा निर्गत डिमाण्ड ड्रॉफ्ट जो New gardiner road super speciality hospital Patna. के नाम देय होगा, जो निविदा प्रकाशन तिथि के बाद का बना होना चाहिए।
- (04) निविदादाता का अपने संस्था के नाम से खोली गई Current Account/CC Account के तहत बैंक द्वारा निर्गत 25000/- रुपये का Solvency Certificate जो New Gardiner Road Super Specialty Hospital, Patna के नाम देय होगा संलग्न करना होगा।
- (05) ESIC निबंधन प्रमाण-पत्र संलग्न करना होगा, जो निविदा प्रकाशन तिथि के पहले का बना होना चाहिए एवं पिछले तीन माह अर्थात अगस्त 2023 से अक्टूबर 2023 तक ESIC का चालान/विवरणी एवं पेमेंट रिसिप्ट संलग्न करेंगे।
- (06) EPF निबंधन प्रमाण-पत्र संलग्न करना होगा, जो निविदा प्रकाशन तिथि के पहले का बना होना चाहिए एवं पिछले तीन माह अर्थात अगस्त 2023 से अक्टूबर 2023 तक EPF का चालान/विवरणी एवं पेमेंट रिसिप्ट संलग्न करेंगे।
- (07) केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/पी0एस0यू0 के किसी भी अस्पताल में कपड़ा धुलाई के काम का न्यूनतम एक वर्ष का अनुभव संलग्न करना अनिवार्य है। 1 वर्ष से अधिक का भी अनुभव है तो उसे भी संलग्न करेंगे। अगर किन्ही निविदादाता के द्वारा प्राइवेट सेक्टर के अस्पताल में कपड़ा धुलाई का कार्य किया गया है तो कम से कम 50 बेंड वाले अस्पताल का अनुभव ही मान्य होगा इसका उल्लेख अनुभव प्रमाण पत्र में होना चाहिए। एनेक्चर-3
- (08) गैर सरकारी संस्थाओं/कम्पनियों के नाम का पैन कार्ड की छाया-प्रति संलग्न करना होगा, यदि निविदादाता फर्मों /प्रतिष्ठानों/सर्विस प्रोभाईडरों/संवेदकों का प्रोप्राईटर हैं तो निविदादाता का पैन कार्ड की छाया-प्रति संलग्न करना होगा, जो निविदा प्रकाशन तिथि के पहले का बना होना चाहिए।
- (09) GST निबंधन प्रमाण-पत्र संलग्न करना होगा, जो निविदा प्रकाशन तिथि के पहले का बना होना चाहिए।
- (10) GST निबंधन का पिछले 06 माह अर्थात मई 2023 से अक्टूबर 2023 तक का मासिक/क्वार्टरली ई-फाइलिंग की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना होगा।
- (11) Current Account/C.C.Account (सिर्फ एक बैंक का स्टेटमेंट, जो बैंक मैनेजर द्वारा अभिप्रमाणित हो) का प्रथम पृष्ठ की प्रति जो निविदा प्रकाशन तिथि के बाद बैंक द्वारा निर्गत हो, संलग्न करना होगा, जो निविदा प्रकाशन तिथि के पहले के बैंक खाते का होना चाहिए।
- (12) विगत तीन वर्षों (Assessment Year AY- 2021-22, 2022-23, 2023-24) का आयकर Return प्रमाण-पत्र संलग्न करना होगा।
- (13) किसी भी क्षेत्र के व्यवसाय में विगत तीन वर्षों (Financial Year FY-2020-21, 2021-22, 2022-23) का मिलाकर कुल टर्न ओवर (Audited Balance sheet and (a)Statement of Profit & Loss Account (if the bidder is registered under Companies Act), or (b)Income and expenditure account (if the bidder is registered under Societies and Trusts Act) (if the bidder is Proprietorship/Partnership Firm) 5000000/- (पच्चास लाख रुपये) होने का मान्यता प्राप्त चार्टर्ड एकाउन्टेंट द्वारा निर्गत ऑडिट रिपोर्ट संलग्न करना होगा।
- (14) नोटरी के समक्ष दायर इस आशय का शपथ-पत्र संलग्न करना होगा कि संस्था/फर्म के निविदादाता (सिर्फ पदधारक) पर किसी भी मामले में किसी भी न्यायालय द्वारा दण्डित नहीं किया गया है एवं न ही किसी प्रकार का मुकदमा लंबित है, का शपथ-पत्र निविदा प्रकाशन तिथि के बाद का बना होना चाहिए। एनेक्चर-4
- (15) नोटरी के समक्ष दायर इस आशय का शपथ-पत्र संलग्न करना होगा कि मेरे संस्था पर किसी भी मामले में किसी भी न्यायालय में वाद/सुनवाई के क्रम में तथा किसी भी संस्थान में सही रूप से कार्य नहीं करने के आरोप के आलोक में कार्यदेश/एकरारनामा रद्द नहीं किया गया है तथा न ही संस्था को किसी भी सरकारी संस्थानों द्वारा काली सूची में दर्ज किया गया है। शपथ-पत्र निविदा प्रकाशन तिथि के बाद का बना होना चाहिए। एनेक्चर 5
- (16) निविदादाता का अद्यतन (06 माह से कम समय का) आवासीय प्रमाण-पत्र (स्थायी/अस्थायी) सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत संलग्न करना होगा।
- (17) निविदादाता के स्थाई/अस्थायी, पते का पुलिस अधीक्षक द्वारा निर्गत अद्यतन (06 माह से कम समय का) चरित्र प्रमाण-पत्र संलग्न करना होगा।
- (18) निविदादाता का आधार कार्ड की प्रति संलग्न करना होगा जो निविदा प्रकाशन तिथि के पहले का बना होना चाहिए।
- (19) निविदादाता का पैन कार्ड की प्रति संलग्न करना होगा जो निविदा प्रकाशन तिथि के पहले का बना होना चाहिए।
- (20) नोटरी के समक्ष दायर इस आशय का शपथ-पत्र संलग्न करना होगा कि "मेरे द्वारा श्रम नियमावली का अक्षरशः पालन किया जाएगा। श्रम नियमावली के अन्तर्गत एक कर्मी एक दिन के एक पाली यानी आठ (08) घंटा ही कार्य करेंगे एवं श्रम नियमावली के अन्तर्गत श्रम विभाग द्वारा वर्तमान में निर्गत अधिसूचना में दर्शाई गई निर्धारित मानदेय/मजदूरी, दर पर प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में कर्मियों को बैंक खाता के माध्यम से मानदेय/मजदूरी का भुगतान करने सहित दूसरे सप्ताह के अंदर ESIC,EPF वगैरह की कुल राशि संबंधित विभाग में संस्था द्वारा जमा किया जायेगा, तत्पश्चात् ही संस्था द्वारा जमा किया गया संबंधित माह का विपत्र पर अंकित राशि का भुगतान प्राप्त करने के लिए अधिकृत होंगे, अगर संबंधित माह का 15वें 0 तारीख तक मानदेय/मजदूरी का भुगतान एवं ESIC, EPF की राशि जमा नहीं करने पर 15वें 0 तिथि के बाद भुगतान करने पर प्रतिदिन एक (01) सौ रुपया प्रतिदिन के दर से दण्ड के रूप में संस्था से प्राप्त विपत्र पर अंकित राशि में से अधीक्षक न्यू गार्डिनर रोड सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल पटना कटौती कर लेंगे। शपथ-पत्र निविदा प्रकाशन तिथि के बाद का बना होना चाहिए। एनेक्चर 6
- (21) नोटरी के समक्ष दायर इस आशय का शपथ-पत्र संलग्न करना होगा कि संस्था पर बिहार राज्यान्तर्गत किसी भी स्तर के सरकारी अस्पतालों सहित भारत सरकार/बिहार सरकार के किसी भी स्तर के किसी भी विभाग/ कार्यालय/संस्थान/स्वास्थ्य संस्थान में विभिन्न प्रकार का आरोप यथा (आउट-सोर्सिंग व्यवस्था से संबंधित कोई भी कार्य करने में लापरवाही करने के कारण सक्षम पदाधिकारियों द्वारा बार-बार मौखिक अथवा लिखित के बावजूद संस्था द्वारा कार्य में सुधार नहीं होने के पश्चात् सक्षम पदाधिकारियों द्वारा कार्यदेश/एकरारनामा रद्द किया गया हो अथवा स्वास्थ्य संस्थान, विभाग, कार्यालय, संस्थानों के सक्षम पदाधिकारियों द्वारा तीन या उससे अधिक बार संस्था से मांगी गई स्पष्टीकरण के आलोक में स्पष्टीकरण को दरकिनार कर स्पष्टीकरण का जवाब नहीं दिया गया हो अथवा किसी कारणवश मांगी गई स्पष्टीकरण के तहत संस्था से प्राप्त स्पष्टीकरण का जवाब असंतोष होने के आलोक में तीन या उससे अधिक बार विपत्र पर अंकित राशि में से कटौती किया गया हो अथवा छल से निविदाशर्तोंनुकूल क्रमवार कागजातों को दरकिनार कर कई कागजात तकनीकी आवेदन के साथ संलग्न किये बिना निविदा में सफल होने का आरोप लगा हो अथवा फर्जी तरीके से राशि निकालने का उजागर हुआ हो अथवा निविदा आवेदन के साथ संलग्न की गई कागजातों/प्रमाण-पत्रों का सक्षम पदाधिकारियों/सक्षम विभाग/सक्षम कार्यालय/सक्षम संस्थान द्वारा किया गया सत्यापन में फर्जी पाये जाने का आरोप लगा हो) नहीं लगा हो, शपथ-पत्र निविदा प्रकाशन तिथि के बाद का बना होना चाहिए। एनेक्चर 7

- (ग) वित्तीय निविदा—आउटसोर्सिंग व्यवस्था के अंतर्गत 24X7 के तहत कपड़ों की धुलाई करने हेतु इच्छुक संस्था द्वारा वित्तीय निविदा में सभी प्रकार के खर्च को जोड़कर प्रारूप में न्यूनतम दर अंकित करना होगा, न्यूनतम दर के आधार पर L1 का चयन किया जायेगा।
- (01) तकनीकी निविदा में सफल निविदादाता का वित्तीय निविदा खोला जाएगा।
- (02) कपड़ा धुलाई में आने वाले सभी खर्च को जोड़कर एनेक्चर-8 के अनुसार ही वित्तीय निविदा को भरना होगा अन्यथा निविदा अमान्य कर दिया जाएगा।
- (03) **The L1 will be based on the computed rates “For all cloths”, however, the L1 service provider will be paid as per rates quoted for “Large cloths” and “Small cloths” as the case may be.**
- (04) **We understand that the financial bid shall be calculated based on the weighted average of the financial quote for ‘Large cloth’ and ‘small cloth’, with weightage of 70:30 for the two cloth types, respectively.**
(Example: If we quote INR X for large cloths, and INR Y for small clothes, then the financial bid would be considered to variation as INR (0.7*X + 0.3*Y).
- (05) **The prices quoted by the bidder shall remain fixed during the entire period of the contract and shall not be subject to variation on any account.**
- (06) आउटसोर्सिंग व्यवस्था के अंतर्गत कराई जाने वाली कपड़ा धुलाई कार्य के आलोक में संस्था द्वारा वित्तीय निविदा में GST को छोड़कर (सरकार द्वारा समय-समय पर GST एवं अन्य प्रकार का कर में की जाती रही संशोधन को ध्यान में रखते हुए वित्तीय निविदा के दर में GST एवं अन्य प्रकार का कर नहीं जोड़ना है) सभी प्रकार के खर्च को देखते हुए दर को अंकित करेंगे। अगर क्रय समिति को यह लगता है कि एल 1 दर बाजार दर से अधिक हो तो उस परिस्थिति में वित्तीय निविदा को रद्द करते हुए पुनः निविदा प्रकाशन किया जाएगा। भुगतान हेतु मासिक विपत्र भारत सरकार के द्वारा समय पर निर्धारित जी0एस0टी0 दर को जोड़कर तैयार करेंगे तत्पश्चात ही कार्यालय में समर्पित करेंगे।

घ) तकनीकी एवं वित्तीय निविदा से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण शर्तों की पूर्ण विवरणी :-

- (01) निविदादाता द्वारा अपने निविदा आवेदन के साथ संलग्न किया गया सभी प्रमाण पत्रों/कागजातों/शपथ पत्र में दर्शाई गई सूचना का अस्पताल प्रशासन द्वारा संबंधित विभाग से सत्यापन कराने व सत्यापन कराने के दौरान सही एवं सत्य पाये जाने के पश्चात् ही संस्था द्वारा किये गये कार्यों के आलोक में संस्था द्वारा जमा किया गया विपत्र पर अंकित राशि का भुगतान संस्था को संस्थान द्वारा किया जायेगा।
- (02) किसी भी आम नागरिक (नाम या बगैर नाम) द्वारा निविदा शर्तानुकूल संस्था द्वारा उलंघन कर डाले गये निविदा संबंधित साक्ष्य के तहत संस्था के विरुद्ध अस्पताल प्रशासन को आवेदन प्राप्त होता है तो उक्त परिस्थिति में प्राप्त आवेदन के साथ संलग्न अभिलेखों/साक्ष्य के आधार पर सत्यता की सत्यापन कराने के पश्चात् ही संस्था को संस्था द्वारा जमा किया गया विपत्र पर अंकित राशि का भुगतान किया जायेगा अगर सत्यापन के दौरान आवेदक द्वारा लगाये गये आरोप सही एवं सत्य पाया जाता है तो निविदा शर्तानुकूल उक्त दिनांक को ही संस्था पर कानूनी कारवाई करते हुए विपत्र पर अंकित राशि एवं जमानत राशि को जब्त करते हुए अगले दस वर्षों तक के लिए संस्था को काली सूची में डाल दिया जायेगा।
- (03) शर्त "ख" के तहत संस्था द्वारा संबंधित कार्य को करने हेतु सक्षम विभाग से बनवाई गई निबंधन प्रमाण पत्र के आलोक में कोई भी संस्था इस निविदा में भाग ले सकते हैं।
- (04) निविदादाता द्वारा अस्पताल का भली-भाँति निरीक्षण एवं निविदा में दर्शाई गई सभी बिन्दुवार शर्तों का अवलोकन करने के पश्चात् ही निविदा डाले।
- (05) यदि सरकार द्वारा दिशा निर्देश में कोई परिवर्तन किया जाता है तो उक्त परिस्थिति में अनुबंध की शर्तों में परिवर्तन कर सरकार द्वारा निर्गत दिशा निर्देश का पालन करने का अधिकार अस्पताल प्रशासन के पास सुरक्षित रहेगा।
- (06) निविदा आवेदन में किसी प्रकार का कटिंग अथवा हाथ से लिखा हुआ निविदा आवेदन (तकनीकी/वित्तीय) अथवा ओवर राईटिंग स्वीकार नहीं किया जायेगा अन्यथा उक्त निविदा आवेदन अस्वीकृत कर दिया जायेगा।
- (07) कर्मियों/श्रमिकों की उम्र अधिकतम 60 वर्ष से ज्यादा एवं न्यूनतम 21 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। कर्मियों/श्रमिकों की मानसिक एवं शारीरिक स्थिति अच्छी होनी चाहिए।
- (08) तकनीकी निविदा बिन्दुवार शर्तानुकूल किसी निविदादाता द्वारा निविदा आवेदन के साथ एक भी शर्त पूरा नहीं करते हैं तो उक्त परिस्थिति में उक्त निविदादाता का तकनीकी निविदा अस्वीकृत कर दिया जायेगा। यथा सभी प्रमाण-पत्रों को निविदा आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- (09) तकनीकी निविदा आवेदन के साथ संलग्न तकनीकी प्रमाण-पत्रों का भौतिक सत्यापन के दौरान निविदादाता द्वारा सभी शर्तों को पूरा करता है तो उक्त परिस्थिति में सफल निविदादाता का ही वित्तीय निविदा खोला जायेगा।
- (10) निविदा आवेदन के साथ संलग्न सभी प्रमाण-पत्र निविदा प्रकाशन के पूर्व का निबंधित अथवा सेवा विस्तार होना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में वैसे प्रमाण-पत्र स्वीकार नहीं किये जायेगें, जिसका निबंधन अथवा सेवा विस्तार के लिए संबंधित विभाग में आवेदन (अप्लाई फॉर) दिया गया हों।
- (11) निविदा में दर्शाई गई सभी शर्तानुकूल सेवा उपलब्ध कराने हेतु आनेवाली सभी प्रकार का खर्च निविदादाता द्वारा वहन किया जायेगा (इसके लिए कोई अतिरिक्त शुल्क देय नहीं होगा)।
- (12) आउटसोर्सिंग व्यवस्था के तहत की जाने वाली कपड़ा धुलाई का अनुश्रवण रोगी कल्याण समिति के द्वारा किया जायेगा। अगर किसी भी सदस्य के द्वारा कपड़ा धुलाई से संबंधित शिकायत प्राप्त होती है तो संस्था द्वारा जमा कि गई विपत्र की राशि में से कटौती की जायेगी।
- (13) यह कार्य आउटसोर्सिंग के आधार पर किया जा रहा है। कार्य में संलग्न किसी भी कर्मियों/श्रमिकों का सरकारी कर्मचारी के रूप में कोई दावा मान्य नहीं होगा।
- (14) किये गये कार्य का भुगतान आवंटन उपलब्ध होने पर ही किया जायेगा। भुगतान में किसी प्रकार का विलम्ब होने पर ब्याज देय नहीं होगा। इस कार्य के लिये किसी भी प्रकार की अग्रिम भुगतान नहीं किया जायेगा।
- (15) यदि संस्था बीच में कार्य बाधित करते हैं तो उक्त परिस्थिति में संस्था का अग्रधन के रूप में जमा की गई राशि जब्त कर प्राथमिकी दर्ज करते हुए कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
- (16) आवश्यक कर कटौती के बाद ही भुगतान होगा।
- (17) कार्यों को सुचारु रूप से संचालन से संबंधित भिन्न-भिन्न प्रकार के सामग्री एवं मशीन का रख-रखाव तथा श्रमिकों को रहने हेतु अस्पताल परिसर में संस्था द्वारा अपने स्तर से व्यवस्था करना होगा।
- (18) निविदा आवेदन के साथ संलग्न प्रमाण-पत्र/कागजात को निर्गत विभागों द्वारा वित्तीय निविदा खोलने से पूर्व/पश्चात् अथवा कार्यादेश निर्गत करने से पूर्व/पश्चात् अथवा एकरारनामा होने के पूर्व/पश्चात् अथवा किसी भी समय जांचोपरान्त फर्जी पाई जाती है अथवा शपथ-पत्र में गलत सूचना देते हैं तो निविदादाता के विरुद्ध अविलम्ब स्थानीय थाना में एफ०आई०आर० दर्ज करते हुए कानूनी कार्रवाई किया जायेगा तथा तत्काल

- उक्त संस्था को अगले 10 वर्षों तक के लिए काली सूची में नाम दर्ज करते सहित निविदा आवेदन के साथ अग्रधन के रूप में जमा की गयी राशि को जब्त कर लिया जायेगा।
- (19) संचालक, कर्मियों एवं श्रमिकों को अस्पताल पदाधिकारियों एवं कर्मियों के प्रति व्यवहार मृद एवं सहयोगात्मक होना चाहिए। यदि श्रमिकों का व्यवहार अस्पताल प्रशासन द्वारा अच्छा नहीं पाया जाता है तो उक्त परिस्थिति में ऐसे श्रमिकों को तत्काल हटाते हुए नए श्रमिकों को संस्था द्वारा रखा जायेगा।
- (20) निविदा में सफल होने के पश्चात् निविदादाता को अद्योहस्ताक्षरी के साथ 1000/-NON JUDICIAL STAMP पर एकरारनामा करना होगा एवं एकरारनामा होने के 21 दिनों के अन्दर निविदा शर्तोंनुकूल कार्य प्रारंभ करना होगा।
- (21) अनुबंध 02 वर्ष (अथवा नए एजेन्सी के चयन होने तक) के लिए मान्य होगा सेवा संतोषजनक होने के आधार पर इसे विस्तारित किया जा सकता है यह पूर्णतः क्रय समिति के निर्णय पर आधारित होगा। अवधि विस्तार का दावा किसी भी संस्था का मान्य नहीं होगा।
- (22) अस्पताल प्रशासन के द्वारा बिना कारण बताते हुए निविदा पूर्णतः या अंशतः निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा एवं अस्पताल प्रशासन का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।
- (23) प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में श्रमिकों का श्रम विभाग द्वारा निर्धारित मानदेय सहित ESIC,EPF का भुगतान संस्था द्वारा (विपत्र के साथ श्रमिकों को संस्था द्वारा कि गई भुगतान संबंधित उक्त बैंक पासबुक सहित ESIC,EPF से संबंधित जमा की गई राशि का चलान कि छायाप्रति संलग्न करना होगा) करने के पश्चात् ही अस्पताल प्रशासन द्वारा संस्था को उक्त माह का भुगतान किया जायेगा।
- (24) L1 दर वाले चयनित संस्था प्रतिमाह जो विपत्र समर्पित करेंगे वह भारत सरकार द्वारा निर्धारित जी0एस0टी0 (विपत्र में जी0एस0टी0 दर का भी उल्लेख करना होगा) सहित होना चाहिए।
- (25) संस्था द्वारा पिछले माह का जमा की गई कर्मियों, श्रमिकों का मानदेय (भुगतान का अंडरटेकिंग), ESIC,EPF तथा सभी प्रकार के कर कि चलान एवं लॉगबुक की छायाप्रति (शिडियुल डी के अनुसार) विपत्र के साथ संलग्न करना होगा, तत्पश्चात् ही अस्पताल प्रशासन द्वारा उक्त माह का संस्था द्वारा जमा किया गया विपत्र का भुगतान किया जायेगा।
- (26) L1 दर से लेकर वित्तीय निविदा में सभी संस्था द्वारा क्रमवार अंकित दर के आधार पर एक पैनल बनाकर कार्यालय में रखा जायेगा बीच में कार्य छोड़कर जाने वाले संस्था से हुई रिक्तियों को इसी पैनल के L2 दर अंकित करने वाले संस्था से L1 के दर पर उक्त कार्य कराया जायेगा, यदि L1 के दर पर L2 दर अंकित करने वाला संस्था असमर्थता जताती है तो उक्त परिस्थिति में L3 से लेकर सभी तकनीकी रूप से सफल संस्था से L1 दर के आधार पर कार्य करने हेतु मौका दिया जायेगा, साथ ही साथ L1 दर अंकित करने वाले निविदादाता द्वारा जमा की गई अग्रधन राशि अस्पताल प्रशासन द्वारा जब्त कर लिया जायेगा।
- (27) श्रमिक कार्य करने की अवधि के दौरान निर्धारित पोशाक में कार्य करेंगे जिसकी उपस्थिति संस्था द्वारा संधारित करना होगा, बिना पोशाक में श्रमिकों कार्य करते हुए पकड़े जाने पर प्रति कर्मि एक हजार रुपये प्रतिदिन के दर से संस्था द्वारा जमा किया गया विपत्र पर अंकित राशि में से कटौती कर लिया जायेगा।
- (28) तकनीकी रूप से सफल होने के पश्चात् अगर कोई संस्था वित्तीय निविदा में L1 दर हो जाता है, के आलोक में उक्त संस्था द्वारा जमा कि गई तकनीकी निविदा के साथ संलग्न प्रमाण पत्रों का भौतिक सत्यापन के दौरान नाम/पता वगैरह (निबंधन संख्या में नहीं सिर्फ नाम/पता में) में किसी भी प्रकार कि शब्दों में कुछ गलती लिखा हुआ पाया जाता है तो उक्त परिस्थिति में एकरारनामा होने की तिथि से तीन माह के अन्दर संबंधित निर्गत विभाग से नाम एवं पता में सुधार करा कर कार्यालय में जमा करना होगा। अन्यथा संस्था द्वारा जमा कि गई जमानत राशि एवं विपत्र पर अंकित राशि को जब्त करते हुए एकरारनामा रद्द कर दिया जायेगा तथा L2 दर अंकित करने वाले संस्था को L1 दर पर कार्यादेश निर्गत कर दिया जायेगा।
- (29) अस्पताल परिसर अन्तर्गत संस्था द्वारा रखी एवं लगाई गई सभी प्रकार के (सेवा विस्तार नहीं होने के आलोक में) सामग्री एकरारनामा अवधि समाप्त होने के पश्चात् 24 घंटे के अन्दर अस्पताल परिसर से हटाना होगा। तत्पश्चात् ही अंतिम माह का विपत्र एवं अग्रधन के रूप में जमा की गयी डिमाण्ड ड्रॉफ्ट का भुगतान किया जायेगा। अन्यथा अस्पताल प्रशासन द्वारा सभी सामग्री जब्त करते हुए संस्था पर प्राथमिकी दर्ज करने सहित कानूनी कार्रवाई किया जायेगा।
- (30) चयनित संस्था द्वारा श्रमिक एवं अन्य कर्मियों के आवास (जो वर्तमान में है) आवास (स्थाई/अस्थाई) का आवासीय प्रमाण-पत्र (सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत) एवं उक्त जिला के पुलिस अधीक्षक द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण-पत्र (आवास एवं चरित्र दोनों प्रमाण-पत्र) सहित श्रमिकों का आधार कार्ड, बैंक खाता पासबुक की छायाप्रति एकरारनामा से पूर्व कार्यालय में जमा करना होगा।
- (31) बाल श्रम तथा अन्य अपराधिक गतिविधि की जानकारी प्राप्त होने पर संस्था के विरुद्ध नियमानुकूल कार्यवाई की जायेगी।

- (32) अगर दो या दो से अधिक निविदादाता का वित्तीय निविदा में दर समान पाया जाता है तो उक्त परिस्थिति में लॉटरी के माध्यम से चयन किया जायेगा।
- (33) विशेषज्ञ द्वारा जॉचोपरांत प्रदूषण फैलाने जैसी शिकायत अगर मिलता है अथवा शर्तोंनुकूल कार्य सही नहीं पाये जाने, जैसी शिकायत प्राप्त होने पर अस्पताल प्रशासन के गठित समिति द्वारा जॉचोपरान्त दोषी पाये जाने के पश्चात् संस्था से बिना कोई स्पष्टीकरण पूछे अस्पताल प्रशासन द्वारा उक्त माह का संस्था द्वारा जमा की गई विपत्र पर अंकित राशि में से दस (10) प्रतिशत की कटौती की जायेगी।
- (34) किसी कारण से कार्यादेश निर्गत नहीं होने के आलोक में वित्तीय निविदा खोलने के 120 दिन तक ही निविदा कि वैधता होगी।

नोट :-

- (I) निविदादाताओं को निर्देश दिया जाता है की तकनीकी निविदा में मांगे गए उपरोक्त कागजात के अतिरिक्त अन्य कोई भी कागजात संलग्न नहीं करेंगे एवं शपथ-पत्र क्रमवारनुकूल अलग-अलग बना होना चाहिए।
- (II) जिस संस्था का बिहार राज्यान्तर्गत किसी भी स्तर के सरकारी अस्पतालों सहित भारत सरकार/बिहार सरकार के किसी भी विभाग/कार्यालय में विभिन्न प्रकार का आरोप यथा (काली सूची में दर्ज किया गया हो अथवा आउट-सोर्सिंग से संबंधित कार्य करने में लापरवाही करने के कारण सक्षम पदाधिकारियों द्वारा बार-बार मौखिक कहने के बावजूद कार्य में सुधार नहीं होने के पश्चात् अस्पताल प्रशासन अथवा अन्य विभाग/कार्यालयों के सक्षम पदाधिकारियों द्वारा तीन या उससे अधिक बार स्पष्टीकरण की माँग के तहत प्राप्त असंतोष जवाब एवं असंतोष जवाब होने के आलोकनार्थ तीन या उससे अधिक बार विपत्र पर अंकित राशि में से कटौती किया गया हो अथवा कार्य करने की लापरवाही के कारण विपत्र में से राशि की कटौती किया गया हो अथवा फर्जी तरीके से राशि निकालने का उजागर हुआ हो अथवा निविदा आवेदन के साथ संलग्न की गई कागजातों/प्रमाण-पत्रों का सक्षम पदाधिकारियों/सक्षम संस्थान/सक्षम कार्यालय द्वारा किया गया भौतिक सत्यापन में फर्जी पाये जाने का आरोप) लगा हो तो वे इस निविदा में भाग नहीं ले सकते हैं।
- (III) निविदा आवेदन के साथ सभी शर्तों से संबंधित प्रमाण-पत्रों की स्व० अभिप्रमाणित छाया-प्रति का क्रमवार नम्बरिंग (स्व० अभिप्रमाणित, क्रमवार, नम्बरिंग नहीं होने के कारण उक्त निविदादाता का निविदा आवेदन अमान्य कर दिया जायेगा) करके निविदा संबंधित सभी कागजातों को लिफाफा में सीलबंद कर जमा करना होगा।
- (IV) नोट एवं निविदा में दर्शाई गई सभी महत्वपूर्ण बिन्दुओं को अनिवार्य समझा जाए, अगर निविदादाता द्वारा इसका उलंघन किया जाता है तो उक्त परिस्थिति में संस्था का तकनीकी एवं वित्तीय निविदा खोलने अथवा कार्यादेश निर्गत होने अथवा एकरारनामा होने के पश्चात् किसी भी समय संस्था द्वारा कि गई उलंघन का पता चलता है तो उक्त परिस्थिति में कार्यादेश एवं एकरारनामा रद्द करते हुए अस्पताल प्रशासन द्वारा की गई सभी भुगतान की वसुली कर सरकारी खजाना में जमा करते हुए संस्था को काली सूची में डालते हुए प्राथमिकी दर्ज कर अग्रधन के रूप में जमा की गई राशि जब्त करते हुए कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

Annexure 1
तकनीकी निविदा का प्रारूप

क्रम सं०	प्रमाण पत्रों, ड्राफ्ट एवं शपथ पत्रों की पूरी विवरणी	निबंधन सं०/पत्रांक सं०/अन्य संख्या वगैरह	कार्यालय द्वारा निर्गत तिथि	कागजातों का क्रमवार क्रमांक	कागजातों की कुल संख्या
01	निविदादाता द्वारा निर्गत तकनीकी निविदा आवेदन (पत्रांक दिनांक सहित)			01 To	
02	गैर सरकारी संस्थाओं का सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 21,1860 /1882 के अधीन निबंधित होना चाहिए अथवा कम्पनियों का कम्पनी अधिनियम 1956 (1956 का 1)/2013 के अधीन निबंधित होना चाहिए अथवा प्रतिष्ठानों/सर्विस प्रोवाइडरों /संवेदकों का बिहार शॉप्स एण्ड इस्टैब्लिशमेंट एक्ट "1953" के अधीन निबंधित होना चाहिए,अथवा पार्टनरसीप फार्म का निबंधन पार्टनरसीप एक्ट 1932 के अधिन निबंधित होने का प्रमाण-पत्र			To	
03	अग्रघन राशि, 25000/- रुपये का डिमाण्ड ड्राफ्ट।			To	
04	निविदादाता का अपने संस्था के नाम से खोली गई Current Account/CC Account के तहत बैंक द्वारा निर्गत 25000/- रुपये का Solvency Certificate				
05	ESIC निबंधन प्रमाण-पत्र एवं पिछले तीन माह अर्थात अगस्त 2023 से अक्टूबर 2023 तक ESIC का चालान/विवरण एवं पेमेंट रिसिप्ट			To	
06	EPF निबंधन प्रमाण-पत्र एवं पिछले तीन माह अर्थात अगस्त 2023 से अक्टूबर 2023 तक EPF का चालान/विवरण एवं पेमेंट रिसिप्ट			To	
07	केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/पीएसओयू के किसी भी अस्पताल में कपड़ा धुलाई के काम का एक वर्ष का अनुभव संलग्न करना होगा। अगर किन्ही निविदादाता के द्वारा प्राइवेट सेक्टर के अस्पताल में कपड़ा धुलाई का कार्य किया गया है तो कम से कम 50 बेड वाले अस्पताल का अनुभव ही मान्य होगा इसका उल्लेख अनुभव प्रमाण पत्र में होना चाहिए (एनेक्चर-3 के अनुसार)			To	
08	पैन कार्ड की प्रति		X	To	
09	GST निबंधन प्रमाण-पत्र			To	
10	GST निबंधन का पिछले 06 माह अर्थात मई 2023 से अक्टूबर 2023 तक का मासिक/क्वार्टरली ई-फाइलिंग की स्वअभिप्राणित छायाप्रति संलग्न करना होगा।				
11	Current / C.C.Account के प्रथम पृष्ठ की प्रति				
12	विगत तीन वर्षों (Assessment Year) का आयकर रिटर्न की प्रति।	2021-22		To	
		2022-23		To	
		2023-24		To	
13	विगत तीन वर्षों को मिलाकर कुल टर्न ओवर 50,00,000/- (पच्चास लाख) रुपये की प्रति।	2020-21		To	
		2021-22		To	
		2022-23		To	
14	नोटरी के समक्ष दायर इस आशय का शपथ-पत्र संलग्न करना होगा कि संस्था/फर्म के निविदादाता (सिर्फ पदधारक) पर किसी भी मामले में किसी भी न्यायालय द्वारा दण्डित नहीं किया गया है एवं न ही किसी प्रकार का मुकदमा लंबित है, का शपथ-पत्र निविदा प्रकाशन तिथि के बाद का बना होना चाहिए।			To	
15	संस्था/कम्पनी/फर्म पर किसी भी मामले में किसी भी न्यायालय में बाद/सुनवाई के क्रम में कार्यदेश/एकरारनामा रद्द नहीं किया गया है तथा न ही संस्था को किसी भी सरकारी संस्थानों द्वारा काली सूची में दर्ज किया गया है का शपथ पत्र।			To	
16	निविदादाता (पदधारक) का अद्यतन (06 माह से कम समय का) आवासीय प्रमाण-पत्र (स्थायी/अस्थायी) सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत संलग्न करना होगा।			To	
17	निविदादाता (पदधारक) के स्थाई/अस्थायी, पते का पुलिस अधीक्षक द्वारा निर्गत अद्यतन (06 माह से कम समय का) चरित्र प्रमाण-पत्र संलग्न करना होगा।			To	
18	निविदादाता (पदधारक) का आधार कार्ड की प्रति संलग्न करना होगा जो निविदा प्रकाशन तिथि के पहले का बना होना चाहिए।			To	
19	निविदादाता का पैन कार्ड की प्रति संलग्न करना होगा जो निविदा प्रकाशन तिथि के पहले का बना होना चाहिए।				
20	नोटरी के समक्ष दायर इस आशय का शपथ-पत्र संलग्न करना होगा कि "मेरे द्वारा श्रम नियमावली का अक्षरशः पालन किया जाएगा। श्रम नियमावली के अन्तर्गत एक कर्मि एक दिन के एक पाली यानी आठ (08) घंटा ही कार्य करेंगे एवं श्रम नियमावली के अन्तर्गत श्रम विभाग द्वारा वर्तमान में निर्गत अधिसूचना में दर्शाई गई निर्धारित मानदेय/मजदूरी, दर पर प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में कर्मियों को बैंक खाता के माध्यम से मानदेय/मजदूरी का भुगतान करने सहित दूसरे सप्ताह के अंदर ESIC,EPF वगैरह की कुल राशि संबंधित विभाग में संस्था द्वारा जमा किया जायेगा, तत्पश्चात् ही संस्था द्वारा जमा किया गया संबंधित माह का विपत्र पर अंकित राशि का भुगतान प्राप्त करने के लिए अधिकृत होंगे, अगर संबंधित माह का 15वें तारीख तक मानदेय/मजदूरी का भुगतान एवं ESIC, EPF की राशि जमा नहीं करने पर 15वें तिथि के बाद भुगतान करने पर प्रतिदिन एक (01) सौ रुपया प्रतिदिन के दर से दण्ड के रूप में संस्था से प्राप्त विपत्र पर अंकित राशि में से अधीक्षक न्यू गार्डिनर रोड सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल पटना कटौती कर लेंगे। शपथ-पत्र निविदा प्रकाशन तिथि के बाद का बना होना चाहिए। एनेक्चर 6			To	
21	नोटरी के समक्ष दायर इस आशय का शपथ-पत्र संलग्न करना होगा कि संस्था पर बिहार राज्यान्तर्गत किसी भी स्तर के सरकारी अस्पतालों सहित भारत सरकार/बिहार सरकार के किसी भी स्तर के किसी भी विभाग/ कार्यालय/संस्थान/स्वास्थ्य संस्थान में विभिन्न प्रकार का आरोप यथा (आउट-सोर्सिंग व्यवस्था से संबंधित कोई भी कार्य करने में लापरवाही करने के कारण सक्षम पदाधिकारियों द्वारा बार-बार मौखिक अथवा लिखित के बावजूद संस्था द्वारा कार्य में सुधार नहीं होने के पश्चात् सक्षम पदाधिकारियों द्वारा कार्यदेश/एकरारनामा रद्द किया गया हो अथवा स्वास्थ्य संस्थान, विभाग, कार्यालय, संस्थानों के सक्षम पदाधिकारियों द्वारा तीन या उससे अधिक बार संस्था से मांगी गई स्पष्टीकरण के आलोक में स्पष्टीकरण को दरकिनार कर स्पष्टीकरण का जवाब नहीं दिया गया हो अथवा किसी कारणवश मांगी गई स्पष्टीकरण के तहत संस्था से प्राप्त स्पष्टीकरण का जवाब असंतोष होने के आलोक में तीन या उससे अधिक बार विपत्र पर अंकित राशि में से कटौती किया गया हो अथवा छल से निविदाशर्तानुसूल क्रमवार कागजातों को दरकिनार कर कई कागजात तकनीकी आवेदन के साथ संलग्न किये बिना निविदा में सफल होने का आरोप लगा हो अथवा फर्जी तरीके से राशि निकालने का उजागर हुआ हो अथवा निविदा आवेदन के साथ संलग्न की गई कागजातों/प्रमाण-पत्रों का सक्षम पदाधिकारियों/सक्षम विभाग/सक्षम कार्यालय/सक्षम संस्थान द्वारा किया गया सत्यापन में फर्जी पाये जाने का आरोप लगा हो) नहीं लगा हो, शपथ-पत्र निविदा प्रकाशन तिथि के बाद का बना होना चाहिए।			To	
				कुल योग:-	

Annexure-2
निविदादाता (पदधारक) की पूर्ण विवरणी

01	गैर सरकारी संस्थाओं/कम्पनियों/फर्मों/प्रतिष्ठानों/सर्विस प्रोभाईडरों/संवेदकों के तरफ से निविदा आवेदन समर्पित करने वाले निविदादाता (पदधारक) का पूरा नाम :-	
02	गैर सरकारी संस्थाओं/कम्पनियों/फर्मों/प्रतिष्ठानों/सर्विस प्रोभाईडरों/संवेदकों के तरफ से निविदा आवेदन समर्पित करने वाले निविदादाता (पदधारक) का पूरा पता :-	
03	गैर सरकारी संस्थाओं/कम्पनियों/फर्मों/प्रतिष्ठानों/सर्विस प्रोभाईडरों/संवेदकों के तरफ से निविदा आवेदन समर्पित करने वाले निविदादाता (पदधारक) के तरफ से निविदा आवेदन समर्पित करने वाले निविदादाता (पदधारक) का पद नाम :-	
04	गैर सरकारी संस्थाओं/कम्पनियों/फर्मों/प्रतिष्ठानों/सर्विस प्रोभाईडरों/संवेदकों के तरफ से निविदा आवेदन समर्पित करने वाले निविदादाता एवं फर्म का ई-मेल :-	
05	गैर सरकारी संस्थाओं/कम्पनियों/फर्मों/प्रतिष्ठानों/सर्विस प्रोभाईडरों/संवेदकों के तरफ से निविदा आवेदन समर्पित करने वाले निविदादाता (पदधारक) के तरफ से निविदा आवेदन समर्पित करने वाले निविदादाता (पदधारक) का जन्म तिथि :-	
06	गैर सरकारी संस्थाओं/कम्पनियों/फर्मों/प्रतिष्ठानों/सर्विस प्रोभाईडरों/संवेदकों के तरफ से निविदा आवेदन समर्पित करने वाले निविदादाता (पदधारक) के तरफ से निविदा आवेदन समर्पित करने वाले निविदादाता (पदधारक) का पिता का नाम :-	
07	गैर सरकारी संस्थाओं/कम्पनियों/फर्मों/प्रतिष्ठानों/सर्विस प्रोभाईडरों/संवेदकों के तरफ से निविदा आवेदन समर्पित करने वाले निविदादाता (पदधारक) के तरफ से निविदा आवेदन समर्पित करने वाले निविदादाता (पदधारक) का पैन नं० :-	
08	गैर सरकारी संस्थाओं/कम्पनियों/फर्मों/प्रतिष्ठानों/सर्विस प्रोभाईडरों/संवेदकों के द्वारा निविदा आवेदन समर्पित करने वाले निविदादाता (पदधारक) के तरफ से निविदा आवेदन समर्पित करने वाले निविदादाता (पदधारक) का आधार नं० :-	
09	गैर सरकारी संस्थाओं/कम्पनियों/फर्मों/प्रतिष्ठानों/सर्विस प्रोभाईडरों/संवेदकों के द्वारा निविदा आवेदन समर्पित करने वाले निविदादाता (पदधारक) के तरफ से निविदा आवेदन समर्पित करने वाले निविदादाता (पदधारक) का मोबाईल नं० :-	

नोट:-तकनीकी निविदा के साथ ही निविदादाता का पूर्ण विवरणी भी संलग्न करना आवश्यक है नही करने के स्थिति में तकनीकी निविदा अमान्य कर दिया जाएगा।

निविदादाता (पदधारक) का हस्ताक्षर

Annexure 3: Prior Experience

Experience of 1 years (attach documentary proof/ certificate from concerned organization)

S. NO	Name of Work	Year (Duration)	Agency who Awarded the work	Contact person/ Telephone Number	Remarks (यदि अस्पताल प्राइवेट हो तो बेड की संख्या अनिवार्य रूप से अंकित करेंगे)

Date:

Place:

Name and Designation of the Bidder:

Signature of Bidder:

Seal of the Bidder:

सेवा में,
समक्ष, नोटरी पदाधिकारी,.....

शपथ-पत्र

(निविदा शर्त "ख" का क्रमांक 14 के आलोक में)

मैं.....जन्मतिथि-.....
...पिता-.....माता.....
...पूरा पता, स्थाई (गाँव/शहर).....मुहल्ला-.....वार्ड नं०-.....
...पोस्ट-.....प्रखण्ड-.....थाना-.....अनुमण्डल-.....
...जिला-.....राज्य-.....में
रहता/रहती हूँ।
पूरा पता, अस्थाई (गाँव/शहर).....मुहल्ला-.....वार्ड नं०-.....
पोस्ट-.....प्रखण्ड-.....थाना-.....अनुमण्डल-.....
...जिला-.....राज्य-.....में रहता/रहती
हूँ।

(01) मैं शपथ पूर्वक निम्नलिखित बयान अपने होशोहवास में करता/करती हूँ।

(02) मैं शपथ पूर्वक बयान करता/करती हूँ की मैं.....
संस्था.....
में (पदधारक का पदनाम).....के पद पर
हूँ।

(03) मैं.....शपथ पूर्वक बयान करता/करती हूँ की
मेरे नाम पर किसी भी मामले में किसी भी न्यायालय द्वारा दण्डित नहीं किया गया है एवं न ही
किसी प्रकार का मुकदमा लंबित है।

(04) मैं शपथ पूर्वक बयान करता/करती हूँ कि शपथ-पत्र का पारा 01 से 03 तक के सारे तथ्य मेरे
निजी जानकारी में सही एवं सत्य है। इस शपथ-पत्र के आलोक में सक्षम पदाधिकारी द्वारा गलत
पाई जाती है तो मेरे विरुद्ध नियमसंगत कानूनी कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र हूँ।

शपथ कर्ता

Annexure-5

सेवा में,
समक्ष, नोटरी पदाधिकारी,.....

शपथ-पत्र

(निविदा शर्त "ख" का क्रमांक 15 के आलोक में)

मैं.....जन्मतिथि-.....
..पिता-.....माता.....
..पूरा पता, स्थाई (गाँव/शहर).....मुहल्ला-.....वार्ड नं०-.....
..पोस्ट-.....प्रखण्ड-.....थाना-.....अनुमण्डल-.....
..जिला-.....राज्य-.....में

रहता/रहती हूँ।

पूरा पता, अस्थाई (गाँव/शहर).....मुहल्ला-.....वार्ड नं०-.....
पोस्ट-.....प्रखण्ड-.....थाना-.....अनुमण्डल-.....
..जिला-.....राज्य-.....में रहता/रहती हूँ।

(01) मैं शपथ पूर्वक निम्नलिखित बयान अपने होशोहवास में करता/करती हूँ।

(02) मैं शपथ पूर्वक बयान करता/करती हूँ की मैं.....
संस्था.....
में (पदधारक का पदनाम).....के पद पर हूँ।

(03) मैं.....शपथ पूर्वक बयान करता/करती हूँ की मेरे संस्था पर किसी भी मामले में किसी भी न्यायालय में वाद/सुनवाई के क्रम में तथा किसी भी संस्थान में सही रूप से कार्य नहीं करने के आरोप के आलोक में कार्यादेश/एकरारनामा रद्द नहीं किया गया है तथा न ही संस्था को किसी भी सरकारी संस्थानों द्वारा काली सूची में दर्ज किया गया है।

(04) मैं शपथ पूर्वक बयान करता/करती हूँ कि शपथ-पत्र का पारा 01 से 03 तक के सारे तथ्य मेरे निजी जानकारी में सही एवं सत्य है। इस शपथ-पत्र के आलोक में सक्षम पदाधिकारी द्वारा गलत पाई जाती है तो मेरे विरुद्ध नियमसंगत कानूनी कारवाई करने हेतु अधीक्षक न्यू गार्डिनर रोड सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल पटना स्वतंत्र होंगे।

शपथ कर्ता

Annexure-6

सेवा में,
समक्ष, नोटरी पदाधिकारी,.....

शपथ-पत्र

(निविदा शर्त "ख" का क्रमांक 20 के आलोक में)

मैं.....जन्मतिथि-.....
..पिता-.....माता.....
..पूरा पता, स्थाई (गाँव/शहर).....मुहल्ला-.....वार्ड नं०-.....
..पोस्ट-.....प्रखण्ड-.....थाना-.....अनुमण्डल-.....
..जिला-.....राज्य-.....में
रहता/रहती हूँ।
पूरा पता, अस्थाई (गाँव/शहर).....मुहल्ला-.....वार्ड नं०-.....
पोस्ट-.....प्रखण्ड-.....थाना-.....अनुमण्डल-.....
..जिला-.....राज्य-.....में रहता/रहती
हूँ।

(01) मैं शपथ पूर्वक निम्नलिखित बयान अपने होशोहवास में करता/करती हूँ।

(02) मैं शपथ पूर्वक बयान करता/करती हूँ की मैं.....
संस्था.....
में (पदधारक का पदनाम).....के पद पर
हूँ।

(03) मैं.....शपथ पूर्वक बयान करता/करती हूँ की
"मेरे द्वारा श्रम नियमावली का अक्षरशः पालन किया जाएगा। श्रम नियमावली के अन्तर्गत एक कर्मी एक दिन के एक पाली यानी आठ (08)
घंटा ही कार्य करेंगे एवं श्रम नियमावली के अन्तर्गत श्रम विभाग द्वारा वर्तमान में निर्गत अधिसूचना में दर्शाई गई निर्धारित मानदेय/मजदूरी,
दर पर प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में कर्मियों को बैंक खाता के माध्यम से मानदेय/मजदूरी का भुगतान करने सहित दूसरे सप्ताह के अंदर
ESIC,EPF वगैरह की कुल राशि संबंधित विभाग में संस्था द्वारा जमा किया जायेगा, तत्पश्चात् ही संस्था द्वारा जमा किया गया संबंधित माह
का विपत्र पर अंकित राशि का भुगतान प्राप्त करने के लिए अधिकृत होंगे, अगर संबंधित माह का 15वें तारीख तक मानदेय/मजदूरी का
भुगतान एवं **ESIC, EPF** की राशि जमा नहीं करने पर 15वें तिथि के बाद भुगतान करने पर प्रतिदिन एक (01) सौ रुपया प्रतिदिन के दर से
दण्ड के रूप में संस्था से प्राप्त विपत्र पर अंकित राशि में से अधीक्षक न्यू गार्डिनर रोड सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल पटना कटौती कर लेंगे

(04) मैं शपथ पूर्वक बयान करता/करती हूँ कि शपथ-पत्र का पारा 01 से 02 तक के सारे तथ्य मेरे
निजी जानकारी में सही एवं सत्य है एवं पारा 03 का अनुपालन मेरे द्वारा सदैव किया जाएगा इसका उल्लंघन
करने पर अधीक्षक न्यू गार्डिनर रोड सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल पटना कारवाई करने के लिए
स्वतंत्र होंगे।

शपथ कर्ता

सेवा में,
समक्ष, नोटरी पदाधिकारी,.....

शपथ-पत्र

(निविदा शर्त "ख" का क्रमांक 21 के आलोक में)

मैं.....जन्मतिथि-.....
..पिता-.....माता.....
..पूरा पता, स्थाई (गाँव/शहर).....मुहल्ला-.....वार्ड नं0-.....
..पोस्ट-.....प्रखण्ड-.....थाना-.....अनुमण्डल-.....
..जिला-.....राज्य-.....में

रहता/रहती हूँ।

पूरा पता, अस्थाई (गाँव/शहर).....मुहल्ला-.....वार्ड नं0-.....
पोस्ट-.....प्रखण्ड-.....थाना-.....अनुमण्डल-.....
..जिला-.....राज्य-.....में रहता/रहती हूँ।

(01) मैं शपथ पूर्वक निम्नलिखित बयान अपने होशोहवास में करता/करती हूँ।

(02) मैं शपथ पूर्वक बयान करता/करती हूँ की मैं.....
संस्था.....
में (पदधारक का पदनाम).....के पद पर हूँ।

(03) मैं.....शपथ पूर्वक बयान करता/करती हूँ की संस्था पर बिहार राज्यान्तर्गत किसी भी स्तर के सरकारी अस्पतालों सहित भारत सरकार/बिहार सरकार के किसी भी स्तर के किसी भी विभाग/ कार्यालय/संस्थान/स्वास्थ्य संस्थान में विभिन्न प्रकार का आरोप यथा (आउट-सोर्सिंग व्यवस्था से संबंधित कोई भी कार्य करने में लापरवाही करने के कारण सक्षम पदाधिकारियों द्वारा बार-बार मौखिक अथवा लिखित के बावजूद संस्था द्वारा कार्य में सुधार नहीं होने के पश्चात् सक्षम पदाधिकारियों द्वारा कार्यादेश/एकरारनामा रद्द किया गया हो अथवा स्वास्थ्य संस्थान, विभाग, कार्यालय, संस्थानों के सक्षम पदाधिकारियों द्वारा तीन या उससे अधिक बार संस्था से मांगी गई स्पष्टीकरण के आलोक में स्पष्टीकरण को दरकिनार कर स्पष्टीकरण का जवाब नहीं दिया गया हो अथवा किसी कारणवश मांगी गई स्पष्टीकरण के तहत संस्था से प्राप्त स्पष्टीकरण का जवाब असंतोष होने के आलोक में तीन या उससे अधिक बार विपत्र पर अंकित राशि में से कटौती किया गया हो अथवा छल से निविदाशर्तानुकूल कमवार कागजातों को दरकिनार कर कई कागजात तकनीकी आवेदन के साथ संलग्न किये बिना निविदा में सफल होने का आरोप लगा हो अथवा फर्जी तरीके से राशि निकालने का उजागर हुआ हो अथवा निविदा आवेदन के साथ संलग्न की गई कागजातों/प्रमाण-पत्रों का सक्षम पदाधिकारियों/सक्षम विभाग/सक्षम कार्यालय/सक्षम संस्थान द्वारा किया गया सत्यापन में फर्जी पाये जाने का आरोप लगा हो) नहीं लगा है।

(04) मैं शपथ पूर्वक बयान करता/करती हूँ कि शपथ-पत्र का पारा 01 से 03 तक के सारे तथ्य मेरे निजी जानकारी में सही एवं सत्य है। इस शपथ-पत्र के आलोक में सक्षम पदाधिकारी द्वारा गलत पाई जाती है तो मेरे विरुद्ध नियमसंगत कानूनी कारवाई करने हेतु अधीक्षक न्यू गार्डिनर रोड सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल पटना स्वतंत्र होंगे।

शपथ कर्ता

Schedule A – List of machines/materials

S.No.	Facility	Type of Machine
1	New Gardiner Road Super Specialty Hospital, Patna	Commercial Washing Machine

Materials to be used –

1. Detergent Powder
2. Separate carts for transport & storage of dirty & washed linen
3. Disinfectant
4. Acetone
5. Ammonia
6. Hydrogen peroxide
7. Bleach

The final requirement of materials for the respective facility will be given by the Authority.

Schedule B – Minimum Manpower to be deployed

S.No.	Facility	Manpower
1	New Gardiner Road Super Specialty Hospital, Patna	1

Note :- The above numbers may be changed by the Authority at the time of bidding depending on the specific requirements of any facility.

Schedule - c

Performance Matrix

S. No.	Performance Indicators	Expected Level	Measurement Protocol	Penalty in case of non-compliance
1.1.	COLLECTION OF DIRTY LINEN FROM WARD AND DEPARTMENTS BETWEEN 7 AM TO 9 AM (OR THE TIME FIXED BY THE HEALTH FACILITY)	AT LEAST 90% OF TIMES DURING A MONTH	TO BE VERIFIED FROM DAILY LOG BOOK	1% OF THE TOTAL MONTHLY INVOICE FOR THE RESPECTIVE FACILITY, FOR EVERY INCIDENCE OF NON COMPLIANCE
1.2.	STAFF AVAILABILITY	100%	TO BE VERIFIED FROM DAILY LOG BOOK/ATTENDANCE SHEET	RS. 500 PER DAY IN CASE OF ABSENCE OF STAFF
1.3.	MATERIALS (SCHEDULE - a) AVAILABLE AT ALL TIMES	100%	TO BE VERIFIED FROM DAILY LOG BOOK/STOCK BOOK AND WEEKLY (RANDOM) INSPECTION BY AUTHORISED PERSON/ON DUTY DOCTOR/WARD IN CHARGE	1% OF THE TOTAL MONTHLY INVOICE FOR THE RESPECTIVE FACILITY
1.4.	FEEDBAK FROM COMPLAINTS	LESS THAN 5% OF THE TOTAL FEEDBACK FORMS FILLED IN A MONTH SHOULD HAVE COMPLAINTS REGARDING THE SERVICES OF THE AGENCY	INPUTS FROM FEEDBACK FORMS TO BE COLLATED BY DIRECTOR/ SUPERINTENDENT/ AUTHORISED PERSON ON A WEEKLY BASIS AND COMMUNICATED TO THE AGENCY	1% OF THE TOTAL MONTHLY INVOICE FOR THE RESPECTIVE FACILITY
1.5.	MOPS/BROOMS ETC SHOULD BE REPLACED EVERY MONTH	100%	TO BE VERIFIED BY AUTHORISED PERSON ON MONTHLY CHECKS, AGENCY TO INFORM AUTHORISED PERSON WHEN THEY HAVE NEW STOCK EVERY MONTH THROUGH PURCHASE RECEIPTS	1% OF THE TOTAL MONTHLY INVOICE FOR THE RESPECTIVE FACILITY
1.6.	CLEANING EQUIPMENT SHOULD BE USED ONLY FOR CLOTHS CLEANING	100%	TO BE VERIFIED FROM DAILY AND WEEKLY (RANDOM) INSPECTIONS BY AUTHORISED PERSON /ON DUTY DOCTOR/WARD IN CHARGE/ DIRECTOR/ SUPERINTENDENT	5% OF THE TOTAL MONTHLY INVOICE FOR THE RESPECTIVE FACILITY
1.7	OTHER	100%	TO BE VERIFIED FROM DAILY AND WEEKLY (RANDOM) INSPECTIONS BY AUTHORISED PERSON /ON DUTY DOCTOR/WARD IN CHARGE/ DIRECTOR/ SUPERINTENDENT	5% OF THE TOTAL MONTHLY INVOICE FOR THE RESPECTIVE FACILITY

Schedule - D

Linens Exchange Record

Name of Facility	New Gardiner Road Super Specialty Hospital, Patna
-------------------------	--

DATE	DEPARTMENT. (OT/WARD/ETC)	NUMBER OF DIRTY LINEN COLLECTED BY AGENCY	Signature OF REPRESENTATIVE OF AGENCY	Signature OF AUTHORIZED PERSON IN HOSPITAL	NUMBER OF CLEAN LINEN DELIVERED BY AGENCY	Signature OF REPRESENTATIVE OF AGENCY	Signature OF AUTHORIZED PERSON IN HOSPITAL	Remarks

Signature of Authorised Person

Annexure 8

Financial Bid

The rate for all facilities is provided below -

Cloth type	Financial Quote per piece of cloth in figures	Financial Quote per piece of cloth in words
1) Large cloths (Bed sheet, sheet, blanket, Curtain, Mosquito net etc.)		
2) Small cloths (Towel, pillow cover, Table cloth, Chair cloth etc.)		
For all cloths (0.70 x Rate quoted for per piece of large cloth + 0.30 x Rate quoted for per piece of small cloths)		

- a) The L1 will be based on the computed rates “For all cloths”, however, the L1 service provider will be paid as per rates quoted for “Large Cloths” and “Small Cloths” as the case may be.
- b) We understand that the financial bid shall be calculated based on the weighted average of the financial quote for ‘Large cloth’ and ‘Small cloth’ with weightage of 70:30 for the two cloth types, respectively.
(Example: If we quote INR X for large clothes, and INR Y Small cloths, then the financial bid would be considered as INR (0.7*x +0.3*Y))
- c) The price quoted by the bidder shall remain fixed during the entire period of the contract and shall not be subject to variation on any account.
- d) Rates quoted without tax

Date:

Place:

Name and Designation of the Bidder:

Signature of Bidder:

Seal of the Bidder: